



इंदिरा गाँधी कृषि विश्वविद्यालय
INDIRA GANDHI KRISHI VISHWAVIDYALAYA
 कृषक नगर, रायपुर 492 012 (छत्तीसगढ़)
KRISHAK NAGAR, RAIPUR - 492 012 (C.G.)
 Phone 0771-2442537, Fax – 0771- 2443939
 Email-registrar@igkv.ac.in, Website- igkv.ac.in

क्रमांक/स्था.-04/नस्ती क्र.-150/2026/1772

रायपुर, दिनांक : 17/08/2026

//सूचना//

विश्वविद्यालय विज्ञापन क्रमांक/स्था.-04/नस्ती क्र.-150/2023/5017 दिनांक 04.10.2023 द्वारा विज्ञापित प्रयोगशाला तकनीशियन तथा प्रक्षेत्र विस्तार अधिकारी-दो के पद पर सीधी भर्ती से नियुक्ति हेतु अभ्यर्थियों द्वारा अपलोड किये गये दस्तावेजों को मूल प्रति से मिलान हेतु दस्तावेज परीक्षण का कार्य दिनांक 05 एवं 06 अगस्त 2026 को आयोजित किया गया था। इसकी सूचना क्रमांक/स्था.-04/नस्ती क्र.-150/2026/1546 दिनांक 24.07.2026 के माध्यम से विश्वविद्यालय की वेबसाईट में अपलोड की गयी थी तथा प्रदेश स्तरीय बहुप्रसारित एक दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित कराया गया था। साथ ही मेरिट अनुसार दस्तावेज परीक्षण हेतु कुल संवर्गवार पदों का 10 गुना आवेदकों को एस.एम.एस. एवं ई-मेल के माध्यम से सूचित किया गया था।

कुछ अभ्यर्थियों द्वारा स्वास्थ्यगत/एस.एम.एस. प्राप्त नहीं होने के कारण दस्तावेज परीक्षण पुनः आयोजित किये जाने हेतु अनुरोध किया गया है। अतएव विश्वविद्यालय द्वारा विचारोपरान्त निर्णय लिया गया है कि संलग्न सूची में दर्शित अभ्यर्थी जिन्होंने किसी कारणवश दस्तावेज परीक्षण नहीं कराये हैं उनके लिए दस्तावेज परीक्षण का कार्य दिनांक 21 अगस्त 2026 को आयोजित किया गया है।

दस्तावेज परीक्षण हेतु आमंत्रित किए गए आवेदकों को सलाह दी जाती है कि वे निम्नानुसार दस्तावेजों के साथ उपस्थित हों :-

- (अ) क. ऑन लाइन अपलोड किए गए सभी मूल दस्तावेजों, प्रशंसा पत्र, रिप्रिंट इत्यादि के साथ-साथ ऑन लाइन जमा किए गए आवेदन पत्र की हार्ड कापी।
- ख. समस्त मूल दस्तावेज जो ऑनलाइन आवेदन के साथ अपलोड किए गए हैं यथा मूल निवास, अवार्ड, अनुभव इत्यादि।
- ग. समस्त मूल अंकसूची/ट्रांसक्रिप्ट (जैसे हाई स्कूल, हायर सेकेण्डरी, स्नातक, स्नातकोत्तर)
- घ. समस्त मूल उपाधि प्रमाण-पत्र (स्नातक, स्नातकोत्तर)।
- ड. आरक्षित श्रेणी (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग) में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी मूल जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा, ऐसा न करने की स्थिति में उनके आवेदन को अनारक्षित श्रेणी के अन्तर्गत माना जाएगा। अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी के अभ्यर्थियों को निर्धारित प्रपत्र में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी नवीनतम आय प्रमाण पत्र (तीन वर्ष से अधिक पुराना नहीं)/गैर क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र की मूल प्रति दस्तावेज परीक्षण के समय भी प्रस्तुत करना होगा। जिसमें असफल होने पर, अभ्यर्थी आरक्षित श्रेणी का लाभ प्राप्त करने का हकदार नहीं होगा।
- (ब) दस्तावेज परीक्षण में उपस्थिति होने हेतु कोई टी.ए. एवं डी.ए. देय नहीं होगा।
- (स) पूर्व से नियोजित अभ्यर्थियों का यदि आवेदन पत्र उचित माध्यम से प्राप्त नहीं हुआ है तो दस्तावेज परीक्षण के समय अपने वर्तमान नियोक्ता द्वारा जारी "अनापत्ति प्रमाण पत्र" एवं "कोई जाँच नहीं प्रमाण पत्र" प्रस्तुत करना होगा।
- (द) अभ्यर्थी उपरोक्त बिन्दु (क) से (घ) तक उल्लेखित दस्तावेजों की एक स्व-प्रमाणित छायाप्रति के साथ उपस्थित होना होगा। समिति द्वारा दस्तावेज परीक्षण स्थल पर उपलब्ध कराये गये प्रमाण पत्र सत्यापन सह उपस्थिति प्रपत्र को भरकर साथ में जमा करना होगा।
- (इ) क. दस्तावेज परीक्षण हेतु स्थान – प्रशासनिक भवन, इंदिरा गाँधी कृषि विश्वविद्यालय, कृषक नगर, रायपुर (छत्तीसगढ़) 492 012
- ख. तिथि एवं समय – प्रयोगशाला तकनीशियन एवं प्रक्षेत्र विस्तार अधिकारी-दो 21 अगस्त 2026 प्रातः 11:00 बजे से

नोट :- जिन अभ्यर्थियों द्वारा दस्तावेज परीक्षण करा लिया गया है उन्हें दोबारा दस्तावेज परीक्षण में उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं है। दस्तावेज परीक्षण में अनुपस्थित अभ्यर्थियों को अंतिम अवसर प्रदान किया जा रहा है। इसके पश्चात् प्राप्त अभ्यावेदनों पर विचार नहीं किया जावेगा।

17/8/26
 कुलसचिव